न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-319RAABarmer2025-161RTA223 Meera ors Vs Lrs Rahim etc

1. मीरा पुत्र होती
2. जामीन पुत्र होती
3. जगु पुत्र होती
4. रमजान पुत्र होती
5. मुरादी बेवा होती
6. अमीन पुत्र बाबला पुत्र होती
7. इसाक पुत्र बाबला पुत्र होती
8. जमा बेवा बाबला
9. हकीम पुत्र बादल के कायम मुकाम
   - 9.1. कासम पुत्र हकीम
   - 9.2. शंकुर पत्र हकीम
   - 9.3. रोशन पुत्र हकीम
   - 9.4. मोईब पुत्र हकीम
   - 9.5. धींया पुत्र हकीम
10. चिनेसर पुत्र बादला

जाति मुसलमान निवासी बुठिया तहसील रामसर जिला बाडमेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. रहीम पुत्र नुरा के कायम मुकाम
   - 1.1. अदरमान पुत्र रहीम
   - 1.2. सलीमखां पुत्र रहीम
   - 1.3. आदमखां पुत्र रहीम
   - 1.4. हेजमखांन पुत्र रहीम
   - 1.5. मुरादी पत्नि रहीम
2. रहमान पुत्र नुरा

   जाति मुसलमान, निवासी– बुठिया तहसील रामसर, जिला बाड़मेर।
3. भूमिपति तहसीलदार रामसर।
4. प्रबन्धक बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक बालोतरा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19 मई 2025 सहायक कलक्टर रामसर राजस्व मूल वाद संख्या 36/2013 मीरा व अन्य बनाम रहीम इत्यादि

उपस्थित–

श्री डूंगरसिंह महेचा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री सुनिल के. मेराजा, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02

नि र्ण य

दिनांक : 28 जनवरी 2026

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 36/2013 अनवान मीरा व अन्य बनाम रहीम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 19 मई 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 26 जून 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 91, 92, 188 व 40 के तहत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मुस्लिम विधि से शासित है। मुस्लिम समाज में उत्तराधिकार की प्रक्रिया मुस्लिम विधि से शासित है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो मुस्लिम विधि के सिद्धान्त के कई वर्षों के बाद प्रभाव में आया है कि धारा 40 भी यह स्पष्ट करती है कि खातेदार अपनी मृत्यु के समय जिस विधि से शासित था, उसके उतराधिकार का निर्धारण उसी विधि से होगा। पक्षकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्व. खानू के वारिसाान है। स्व. खानू की गांव बुठिया तत्कालीन तहसील बाडमेर हाल तहसील रामसर में 150 हल साठीकड की भूमि आई थी। उक्त खातेदार खानू का देहान्त भू प्रबन्ध के प्रारम्भ होने से पूर्व रियासत काल में संवत 2004 में हो गया। उस समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कोई कल्पना भी नहीं थी तथा मुस्लिम विधि से शासित होने के कारण स्व. खानू की उक्त 150 हल साठीकड भूमि पर उसके तीनों पुत्र क्रमशः नूरा, होती व बादला काबिज हुये तथा विरासत में प्राप्त इस भूमि पर स्व. खानू के तीनों पुत्रों का बराबर हक, कब्जा व अधिकार कायम हुआ और आज भी उन तीनों के वारिशान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा 1/3–1/3 काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व. नूरा अपने शेष दो भाईयों क्रमशः होती व स्व. बादला से बडे थे, जिन्होने अपने पिता स्व. खानू से सामलाती रूप से प्राप्त कृषि भूमि की पैमाईश कराई तथा खेत खसरा संख्या 157, 212, 457, 43, 186, 231 मौजा बूठिया का पर्चा लगान तो समस्त तीनों भाईयों का सांमलाती जारी करवाया, परन्तु इसी ग्राम बूठिया के खसरा नम्बर 155 रकबा 24 बीघा 09 बिस्वा व खेत खसरा नम्बर 168 रकबा 222 बीघा 11 बिस्वा का पर्चा लगान अपने अकेले के नाम से जारी कराया, जिसका ज्ञान उस समय स्व. नूरा के भाईयों वादीगण के वालिदान क्रमशः स्व. होती व स्व. बादला को नहीं हुआ तथा स्वयं के ग्रामीण क्षेत्र के अशिक्षित होने के कारण उन दोनों को अपने जीवन पर्यन्त तक इस खसरा नम्बर 155 व 168 मौजा बुठिया के रेकर्ड खातेदारी का ज्ञान नहीं हुआ और न ही उनके काश्त कब्जे में कभी कोई हस्तक्षेप हुआ। फलतः इस आराजी के रेकर्ड की जानकारी लेने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं हुई। ग्राम बुठिया का विभाजन हो गया तथा उस विभाजन से खसरा नम्बर 168 मौजा झेलून तथा खसरा नम्बर 155 मौजा बुठिया के राजस्व रेकर्ड में अंकित है। खसरा नम्बर 168 रकबा 222 बीघा 11 बिस्वा में रकबा 14. 11 बीघा की कमी सड़क निर्माण से हुई है और इस कारण मौजूद समय में इस खसरा नम्बर 168 के कायम नवीन खसरा नम्बर 299/168 रकबा 208 बीघा मौजा झेलून तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खसरा नम्बर 155 रकबा 24.09 बीघा मौजा बुठिया के हिस्सा 1/3 पर स्व. होती के वारिसान/वादीगण संख्या 1 से 8 हिस्सा 1/3 पर स्व. बादला के वारिसान/वादीगण संख्या 9 से 10 व शेष हिस्सा 1/3 पर स्व. नूरा के वारिसान प्रतिवादीगण 1 व 2 सामलाती रूप से आपसी सहमति से आराजी को विभाजित कर काश्त रहते आ रहे है। रियासत काल में जब पक्षकारान के पूर्व पुरूष खानू का देहान्त हो गया, उसके बाद भू प्रबन्ध के दौरान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय व उसके बाद से लगायत आज दिन तक बिना किसी बाधा व विवाद के पक्षकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 शांतिपूर्वक तौर पर इस आराजी में काश्त करते आ रहे है। मौजूदा समय में भी इस आराजी पर पक्षकारान का संयुक्त कब्जा काश्त है, परन्तु इस वर्ष फसल बुआई के समय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीगण के काश्त में बाधा पैदा करते हुये आराजी खसरा नम्बर 155 व 299/168 को अपनी अकेले के खातेदार का होना बताकर वादीगण को काश्त करने से रोका, जिस पर इस आराजी के खातेदारी संबंधी रेकर्ड की नकले ली तो सर्वप्रथम वादीगण की जानकारी में आया कि खेत खसरा नम्बर 155 व 168 मौजा बुठिया का वक्त बंदोबस्त पर्चा लगान प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व. नूरा ने अपने शेष दो भाईयों स्व. होती व बादला की जानकारी में लाये बिना अपने अकेले के नाम जारी करा दिया तथा नुरा के देहान्त पर यह आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित हो गई। फलतः इस आराजी में वादीगण को अपने अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश करना पड़ा। विचारण न्यायालय द्वारा वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का इस आशय का पेश किया कि अपीलान्ट्स (वादीगण) का वाद आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी पी सी के तहत वादीगण का वाद, वाद हेतुक प्रकट न होने व विधि वर्जित होने के कारण इसी स्टेज पर वाद खारिज करने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के आवेदन को स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय के जरिये वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने के कारण मात्र कयासी दलील के आधार पर खारिज किया गया है। वादीगण द्वारा हस्तगत वाद दिनांक 22.08.2013 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था जिस पर वादीगण ने वाद को विधिवत मानते हुये दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किया गया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध दूसरी पेशी तारीख 05.09.2013 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी तथा उसके बाद वादीगण की साक्ष्य ली गई तथा वर्तमान में पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत थी। वाद में समस्त कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उतरदाता के उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई विचारण किये बिना ही गलत रूप से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आवेदन को स्वीकार किया

राजस्व अपील प्राधिकारी

गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय में यह अंकित किया गया है कि वाद पत्र बिना वाद हेतुक के उत्पन्न हुऐ ही प्रस्तुत करने के कारण खारिज किया जाता है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के वाद का अवलोकन तक नहीं किया गया है, जबकि अपीलान्ट ने अपने वाद पत्र के पद संख्या 6 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि वाद कारण जब समुची वादग्रस्त आराजी रियासत काल में पक्षकारान के पर्वज स्व. खानू ने अर्जित की तथा उसके देहान्त पर विरासत में मुस्लिम विधि जो उस समय प्रभाव में थी, के अनुसार भू प्रबन्ध से पूर्व ही स्व. खानू के तीनों पुत्रों को समान हिस्से में संयुक्त रूप से प्राप्त हुई और जब भू प्रबंध में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता स्व. नूरा जो शेष दो भाईयों से बड़ा था, ने भू प्रबंध अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रभावित कर मौजा बुठिया में खसरा नम्बर 155 व 168 का खातेदारी अंकन अपने अकेले के नाम कराया और जब नूरा का देहान्त हुआ, तब यह आराजी प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम अंकित हुई और जब प्रतिवादीगण ने इस वर्ष चुनौती दी, तब बमुकाम बुठिया व उससे नवसृजित ग्राम झेलून तहसील रामसर पैदा हुआ। इस प्रकार वादीगण को उक्त वाद पेश करने हेतु बिनाय दावा विधि अनुसार प्राप्त हुआ था, जिसका अंकन वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में भली भांति किया गया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के वाद का अवलोकन तक नहीं किया गया तथा न ही वाद को पढा गया है तथा प्रतिवादीगण के मौखिक व झूठे तथ्यों पर आंखे मूंदकर आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि उतरदातागण को अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद में जवाबदावा पेश वक्त उपरोक्त आपत्ति उठाई जा सकती थी तथा जवाबदावे के बाद नियमानुसार तनकीयात कायम किया जाकर इसका न्यायिक निपटारा गुणावगुण के आधार पर ही किया जाना ही न्यायोचित एवं प्रकरण के न्यायिक निस्तारण हेतु आवश्यक था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू अनदेखी करते हुए बिना तनकीयात कायम किये सरसरी तौर पर वाद को बिना गुणावगुण का निदान किये खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी का निस्तारण के लिये सुस्थापित विधि की भी विवेचना पूर्ण रूप से नहीं की है, क्योंकि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के तहत कोई वाद पत्र केवल उसी दशा में खारिज किया जा सकता है, यदि वो वाद विधि द्वारा वर्जित हो या वादी को कोई वाद कारण हासिल न हो या वाद कम न्याय शुल्क पर पेश किया गया हो, लेकिन अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद में आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के उपरोक्त वर्णित कारणों में से कोई ऐसा ठोस आधार नहीं था, जिससे कि अपीलान्ट (वादी) का उक्त वाद आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के तहत खारिज किये जाने योग्य हो, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों को अनदेखा करते हुऐ व विधि की पूर्ण रूप से विवेचना किये बिना ही अपीलान्ट (वादी) का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत राजस्व क्षेत्राधिकार से परे मानते हुऐ खारिज करते हुए उक्त आलोच्य आदेश व डिक्री पर्चा ज़ारी किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 19 मई 2025 को अपास्त किया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पो. संख्या दो की ओर से विद्वान अधिवक्तागण ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व ही रेस्पो. के पिता नूरा की खातेदारी में चली आ रही है। मुस्लिम विधि में पैतृक संपति का कोई प्रावधान नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजीयात कभी भी अपीलांट्स के पूर्वज होती अथवा बादला के नाम दर्ज नहीं रही है। बादला के वारिस चिनेसर द्वारा स्टांप राशि रूपये पांच सौ पर लिखित में आपसी समझौता पत्र निष्पादित कर कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात पर उनके पिता बादला एवं होती का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजीयात स्व. नूरा की वक्त सेटलमेंट प्राप्त स्वअर्जित संपति है। वादग्रस्त आराजीयात पर उनका कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा न ही कभी काश्त की है। यह उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा अपने कब्जे के समर्थन में वादग्रस्त आराजीयात की एक भी गिरदावरी अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर वादीगण का वाद वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने की स्थिति में विधिसम्मत रूपसे खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात वक्त सेटलमेंट से पूर्व अपने दादा खानू के नाम से दर्ज होने तथा वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त आराजीयात खानू खां के तीन पुत्रों में केवल एक पुत्र नूरा के नाम दर्ज होना बताते हुए उसमें 1/3 हिस्से की घोषणा बाबत वाद प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। इस संबंध में वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 155 एवं 168 पर नूरा वल्द खानू का कब्जा काश्त होने से वादग्रस्त आराजीयात उसके नाम दर्ज होना प्रकट होती है। स्व. नूरा के भाई बादला के पुत्र चिनेसर की ओर से निष्पादित आपसी समझौता पत्र के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात पर वक्त सेटलमेंट से नूरा वल्द खानू का कब्जा काश्त रहा है तथा अपीलांट्स का आज दिनांक तक कब्जा नहीं होने के कथन किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जे काश्त बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि मुस्लिम कानूनन में पैतृक संपति की अवधारणा मौजूद नहीं है। मुस्लिम विधि में एक मुस्लिम व्यक्ति को अपने जीवन काल में स्वयं के नाम से दर्ज संपति का पूर्ण उपभोग करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अपीलांट्स द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हिंदु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार वाद प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है तथा इतनी लंबी अवधि बाद वाद करण उत्पन्न होने का भी संतोषजनक कारण नहीं बतलाया गया है। लिहाजा वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुति का वादकरण उत्पन्न नहीं होने से विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद विधिसम्मत रूप से खारिज किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 36/2013 अनवान मीरा व अन्य बनाम रहीम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 19 मई 2025 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर